

सं. ई (पी एंड ए) I-2001/सी पी सी/एल ई-8

आर.जी.ई. सं. 242/2001
नई दिल्ली, दि. 24.12.2001

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों तथा क्रियाविधि का सरलीकरण-भारतीय रेल स्थापना
संहिता, जिल्द -I, 1985 संस्करण, पुनः मुद्रित संस्करण-1995 का अध्याय V.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 27.1.1989 तथा 3.2.1989 का पत्र संख्या ई (पी एंड ए) I -86/
सी पीसी/एल ई-9.

ए आई आर एफ ने चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना प्रसूति अवकाश के क्रम में ली गई
असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा अथवा अन्यथा के रूप में माने जाने संबंधी मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था. इस
मामले की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है
कि प्रसूति अवकाश के क्रम में चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को वेतनवृद्धि
प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए तथा अर्हक सेवा के लिए नहीं गिना जाएगा. पूर्व में, जिन मामलों में
चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना ली गई असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में माना गया है, उन
मामलों पर भी पेंशन नियमों तथा इससे संबंधित प्रशासनिक आदेशों में अंतर्निहित वर्तमान उपबंधों के अनुसार
निर्णय लिया जाएगा.

2. कृपया पावती दें.

नादिरा रजाक

(नादिरा रजाक)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड.

ई (पी एंड ए) I-2001/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि. 24.12.2001

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियां) प्रेषित .

उत्तर श्रीराम
कृते वित्त आयुक्त/रेल.

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि.24.12.2001

प्रतिलिपि प्रेषित:- विसमुलेधि, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि.

नादिरा रजाक

(नादिरा रजाक)

संयुक्त निदेशक, स्था (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (पी एंड ए)I-2001/सी पी सी/एल ई-8

नई दिल्ली, दि.24.12.2001

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एन एफ आई आर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महासचिव, एफ आर ओ ए.
5. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" अधिकारी एसोसिएशन.
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड श्रेणी II अधिकारी एसोसिएशन.
7. महासचिव, आई आर पी ओ एफ.
8. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे श्रेणी-II अधिकारी एसोसिएशन.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी-IV कर्मचारी एसोसिएशन.
11. सचिव ए आई आर पी एफ एसोसिएशन.

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:- रेल मंत्री के निजी सचिव, रेल राज्य मंत्री (डी) के निजी सचिव, रेल राज्य मंत्री (ओ आर) के निजी सचिव एवं अन्य.

1903.51

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RBE No. 242/2001

New Delhi, dated 24.12.2001.

No. E(P&A)I-2001/CPC/LE-8

The General Managers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways and Production Units etc.
(As per standard mailing list)

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules -
Chapter V of Indian Railway Establishment Code, Volume I 1985
Edition, Re-print Edition - 1995.

Ref: Board's letter No. E(P&A)I-86/CPC/LE-9 dated 27.1.89 & 3.2.89.

AIRF had sought clarification on the issue of treating the period of EOL taken in continuation of Maternity Leave without the Medical certificate as qualifying service or otherwise. The matter has been examined in consultation with the Department of Personnel & Training and it is clarified that the period of EOL taken without Medical Certificate in continuation of Maternity Leave would not count for qualifying service and for purpose of grant of increment. The cases where the period of EOL without the Medical Certificate has been treated as qualifying service earlier, should also be decided in accordance with the extant provisions contained in Pension Rules and the related administrative orders.

2. Kindly acknowledge receipt.

Nadira Razak

(NADIRA RAZAK)

Joint Director, Estt.(P&A),
Railway Board.

No. E(P&A)I-2001/CPC/LE-8

New Delhi, dated 24.12.2001.

Copy with (40 spares) forwarded to DIA (Railways), New Delhi.

[Signature]
for Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-8

New Delhi, dated 24.12.2001

Copy to the FA & CAO, All Indian Railways & Production Units etc.

Nadira Raza

(NADIRA RAZA)

Joint Director, Estt.(P&A)

Railway Board

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-8

New Delhi, dated 24.12.2001

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (10 spares)
4. The Secretary General FROA
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association
7. The Secretary General, IRPOF
8. The President, Indian Railway Class II Officers Association
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary, AIRPF Association

Nadira Raza
for Secretary, Railway Board

Copy to:- PS to MR, PS/MSR(D), PS/MSR(OR)

Copy to : PPSs/PSs/PAs to :- CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, All Accounts Members (25 spares), All OSDs(10 spares), Secretary, All Executive Directors (70 spares), JS(G), JS(E), JS(C), JS(D), DS(G), DF(E), JDPG II, DE(N), Dir(MPP), DE(G), JDPC, JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GP), JDE(Res.) I, JDE(L), JDF(E), DDF(III)(With 2 spares), DDPC-III, DDPC-IV, DDPC-V, DDE(R)-II, DDE(LR) I, II & III/Railway Board

Copy to :- Cash - I, II, & III, Budget, E(P&A)II, E(G), E(NG) I & II, PC-III, PC-I, E(Trg.), E(MPP), E(LR) I/II/III, F(E)I/II/Special, FE(III)(with 4 spares), Sec (E), Sec Accounts III(with 10 spares), Code Revision Cell(5 spares), ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I/II, E(GP), E(GC), PR, Branches of Railway Board.
